सहायक कलक्टर (SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 05/2022 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भूरचंद पुत्र मुकनाराम जाति जाट, निवासी ढूंढा तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी बूलों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. गोमाराम पुत्र दमाराम जाति जाट, निवासी कवास तहसील व जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा भाडखा 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.07.2023

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्रि के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल नागड़दा के ग्राम बूलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 52 रकबा 8.4174 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	भूरचंद पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी ढूंगा तहसील बाड़मेर खातेदार	बूलों की ढाणी	52	5.6116	बा.चा.		लाल
2	गोमाराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी कवास खातेदार रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाडखा	बूलों की ढाणी	52	2.8058	बा.चा.		हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्रि पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव